



क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

2

जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 2237/OA-426/2023

दिनांक 16.09.2023

सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,  
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,  
नई दिल्ली।

विषय— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या-426/2023 सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 तथा ओ.ए. संख्या-457/2023 एस0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या-426/2023 सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 तथा ओ.ए. संख्या-457/2023 एस0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1087/ओ.ए.-426/2023 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा शिकायती स्थल हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ पर क्लिंकर की लॉडिंग-अनलोडिंग से जनित वायु प्रदूषण की जाँच किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की गयी है:-

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-कोल, जनपद अलीगढ़।
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच99721/सी-4/विधि/एन.जी.टी. नं.-457/2023 दिनांक 22.08.2023, के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को मा0 एन.जी.टी. का आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु नामित किया गया है।

उक्त समिति द्वारा शिकायती स्थल हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ पर क्लिंकर की लॉडिंग-अनलोडिंग से जनित वायु प्रदूषण की जाँच दिनांक 12.09.2023 को किया गया है। जिलाधिकारी, अलीगढ़ के कार्यालय आदेश संख्या-1087 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा इस कार्यालय को संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 की ई-मेल आई0डी0-judicial-ngt@gov.in पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 की ई-मेल आई0डी0-judicial-ngt@gov.in पर अपलोड की गयी है। संयुक्त निरीक्षण आख्या की मूलप्रति संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

**संलग्नक : संयुक्त निरीक्षण आख्या।**

भवदीय

(डॉ० जे0पी0 सिंह)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, बी-235, सेक्टर-19, नोएडा।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-426/2023 सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 तथा ओ.ए. संख्या-457/2023 एस0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 02.08.2023 को पारित आदेशों के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या।


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-426/2023 सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 01.08.2023 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

1. The grievance in this present application is regarding air pollution caused in the area of Village Satha, District Aligarh, UP during loading and unloading of clinker by Birla Uttam Cement Company, C.D.F., Cherat at Harduaganj Railway Station.
2. The applicant has submitted that clinker is being loaded and unloaded at the above-mentioned Railway Station by the Project Proponent for the last six years. The air and dust pollution caused during loading and unloading of clinker is posing serious health hazards to the residents of the locality and is also adversely affecting fertility of the adjoining agricultural land.
3. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Aligarh and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
4. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. List for further consideration on 10.10.2023.
6. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Member Secretary, State PCB and District Magistrate, Aligarh by e-mail for requisite compliance.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-457/2023 एस0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है-

1. The grievance in this present application is regarding air pollution caused in the area of Village Cherat, District Aligarh, UP during loading and unloading of clinker by Mangalam Cement Company, Cherat at Harduaganj Railway Station.
2. The applicant has submitted that clinker is being loaded and unloaded at the above-mentioned Railway Station by the Project Proponent for the last seven years. The air and dust pollution caused during loading and unloading of clinker is posing serious health hazards to the residents of the locality and is also adversely affecting fertility of the adjoining agricultural land.
3. Similar matter (O.A. No. 426/2023) complaining about air pollution by loading and unloading of clinker at Harduaganj Railway Station came up for hearing before this Tribunal and this Tribunal vide order dated 01.08.2023 constituted a joint Committee with direction to verify the factual position and submit factual and action taken report within one 2 month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
4. List for further consideration on 10.10.2023 along with O.A. No. 426/2023.

278



13

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.08.2023 एवं 02.08.2023 के अनुपालन में शिकायती स्थल हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ पर क्लिंकर की लॉडिंग-अनलोडिंग से जनित वायु प्रदूषण की जांच किये जाने हेतु जिलाधिकारी-अलीगढ़ के कार्यालय आदेश संख्या-1087/ओ.एं. नं.-426/2023 दिनांक 17.08.2023 (छायाप्रति संलग्न-1) के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की गयी है-

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-कोल, जनपद अलीगढ़।
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच99721/सी-4/विधि/एन.जी.टी. नं.-457/2023 दिनांक 22.08.2023 (छायाप्रति संलग्नक-2) के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु नामित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 एवं 02.08.2023 के अनुपालन में उक्त संयुक्त समिति के द्वारा शिकायती स्थल हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक 12.09.2023 को किया गया। निरीक्षण एवं वार्ता के समय निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे:-

1. श्री डी.के. गौतम, स्टेशन अधीक्षक, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़।
2. श्री हेमराज मीना, चीफ गुड सुपरवाइजर, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़।
3. श्री मनीष कुमार, प्रबंधक, मै0 मंगलम सीमेण्ट, सी0डी0एफ0 काम्प्लेक्स, छेरत, अनूपशहर रोड, अलीगढ़।
4. श्री संजय यादव, प्रबंधक, मै0 विजन नेक्स्ट रोड लॉजिस्टिक प्रा0लि0, 103, क्लासिक होम्स अपार्टमेन्ट, मैरिस रोड, अलीगढ़।
5. श्री राजा, सुपरवाइजर, मै0 पी एण्ड पी एक्विजम प्रा0लि0, सूतमिल चौराहा, जनपद-अलीगढ़।
6. श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, शिकायतकर्ता, ग्राम-साथा, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़।

विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण के समय रेलवे स्टेशन हरदुआगंज, अलीगढ़ के अक्षांश-27.990085 देशान्तर-78.127543 पाये गये।
2. निरीक्षण के समय रेलवे स्टेशन हरदुआगंज, अलीगढ़ के रेलवे साइडिंग की लाइन नं.-14 के किनारे क्लिंकर की लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य होता हुआ पाया गया, निरीक्षण के समय खींचे गये फोटोग्राफ संलग्न है। (संलग्नक-3)
3. निरीक्षण के समय पाया गया कि मै0 मंगलम सीमेण्ट, सी0डी0एफ0 काम्प्लेक्स, छेरत, अनूपशहर रोड, अलीगढ़ के द्वारा ट्रांसपोर्ट एजेन्सी मै0 पी एण्ड पी एक्विजम प्रा0लि0, सूतमिल चौराहा, जनपद-अलीगढ़ के माध्यम से रेलवे स्टेशन हरदुआगंज, अलीगढ़ के रेलवे साइडिंग की लाइन नं.-14 के किनारे क्लिंकर की लोडिंग/अनलोडिंग कर ट्रकों के द्वारा क्लिंकर को भरकर मै0 मंगलम सीमेण्ट, सी0डी0एफ0 काम्प्लेक्स, छेरत, अनूपशहर रोड, अलीगढ़ तक आवागमन किया जाता है।
4. निरीक्षण के समय रेलवे स्टेशन हरदुआगंज, रेलवे साइडिंग के लाइन नं.-14 के किनारे स्थित लोडिंग/अनलोडिंग के मार्ग पर वाटर स्प्रिंकलिंग का कार्य होता हुआ नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर स्थापित 02 नग पोर्टेबल एन्टी स्मॉगगन संचालित नहीं पाये गये।
5. निरीक्षण के समय हरदुआगंज, रेलवे साइडिंग पर वाहनों के आवागमन एवं लोडिंग/अनलोडिंग से जनित डस्ट के नियंत्रण हेतु रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज की पूरब एवं पश्चिम दिशा में लगभग-20 फीट ऊँची तथा लगभग-600 मीटर दोनों तरफ लम्बाई में अस्थाई ग्रीन नेट स्थापित पायी गयी, जोकि निरीक्षण के समय क्षतिग्रस्त पायी गयी। (फोटोग्राफ संलग्न-4)।
6. बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच88949/सी-4/ सा-II-844/2022 दिनांक 11.02.2023 (छायाप्रति संलग्नक-5) के द्वारा रू0 1,68,750/- (रू0 एक लाख अडसठ हजार सात सौ पच्चास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया


है, जिसके क्रम क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1223 दिनांक 12.09.2023 (छायाप्रति संलग्नक-6) के द्वारा कारण बताओं नोटिस की पुष्टि की गयी है।

7. हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ पर विलंकर की लॉडिंग-अनलोडिंग से जनित वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं.-537/2022 मुकेश कुमार चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 28.08.2023 को आदेश पारित गया है, जोकि निम्नवत् है-
- 1- Pursuant to service of notice on respondent no. 8 in compliance of order dated 24.05.2023, Mr. Manu Garg, Advocate has appeared on behalf of respondent no. 8. Reply on behalf of respondent no. 8 has also been filed vide email dated 26.08.2023.
- 2- Action Taken Report has also been filed by DRM, North Central Railway, Prayagraj vide email dated 25.08.2023
- 3- In the above said Action Taken Report, it has been mentioned that applications for consent filed on behalf of DRM, North Central Zone, Prayagraj Division, U.P. were rejected twice by UPPCB.
- 4- Learned Counsel for UPPCB has submitted that UPPCB will look into the matter of grant of consent on requisite compliance/issuing appropriate directions for closure.
- 5- Mr. Himanshu Badoni, DRM, North Central Zone, Prayagraj Division, U.P. has appeared before this Tribunal through VC and we have interacted with him. Mr. Himanshu Badoni, DRM, North Central Zone, Prayagraj Division, U.P has mentioned that tender has been floated and the requisite remedial measures are being taken.
- 6- In reply filed by respondent no. 5 it has been mentioned that brand new green cloth has been provided on both sides of the railway sidings. We are of the considered view that till the time long term remedial measures are executed, the aspect of replacement of green cloth with tin sheets may also be considered for the purpose of preventing/controlling the dust pollution likely to be generated during loading unloading of clinker.
- 7- Learned Counsel for the respondents no. 2, 4 and 5 to 8 seek time for filing of Action Taken Report/Status Report regarding remedial measures.
- 8- Action Taken Report/Status Report by respondents no. 2, 4 and 5 to 8 be filed within **two months** at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.
- 9- List for further consideration on 02.11.2023


उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।



(अजय कुमार)  
सहायक पर्यावरण अभियन्ता  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
अलीगढ़



(डॉ० ज०पी० सिंह)  
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
अलीगढ़



(रवि शंकर सिंह )  
उपप्रजलाधिकारी-कोल,  
अलीगढ़।

५३

कार्यालय

जिलाधिकारी,

अलीगढ़

पत्रांक: 1087/OA No-426/2023

दिनांक: 17-08-23

कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-426/2023 सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

1. The grievance in this present application is regarding air pollution caused in the area of Village Satha, District Aligarh, UP during loading and unloading of clinker by Birla Uttam Cement Company, C.D.F., Cherat at Harduaganj Railway Station.
2. The applicant has submitted that clinker is being loaded and unloaded at the above-mentioned Railway Station by the Project Proponent for the last six years. The air and dust pollution caused during loading and unloading of clinker is posing serious health hazards to the residents of the locality and is also adversely affecting fertility of the adjoining agricultural land.
3. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Aligarh and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
4. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. List for further consideration on 10.10.2023.
6. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Member Secretary, State PCB and District Magistrate, Aligarh by e-mail for requisite compliance.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर एवं ओ0ए0 संख्या-457/2023 एस0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है-


1. The grievance in this present application is regarding air pollution caused in the area of Village Cherat, District Aligarh, UP during loading and unloading of clinker by Mangalam Cement Company, Cherat at Harduaganj Railway Station.

2. The applicant has submitted that clinker is being loaded and unloaded at the above-mentioned Railway Station by the Project Proponent for the last seven years. The air and dust pollution caused during loading and unloading of clinker is posing serious health hazards to the residents of the locality and is also adversely affecting fertility of the adjoining agricultural land.
3. Similar matter (O.A. No. 426/2023) complaining about air pollution by loading and unloading of clinker at Harduaganj Railway Station came up for hearing before this Tribunal and this Tribunal vide order dated 01.08.2023 constituted a joint Committee with direction to verify the factual position and submit factual and action taken report within one 2 month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
4. List for further consideration on 10.10.2023 along with O.A. No. 426/2023.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 एवं 02.08.2023 के अनुपालन में शिकायती स्थल हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ पर क्लिंकर की लॉडिंग-अनलोडिंग से जनित वायु प्रदूषण की जाँच किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की सयुक्त समिति गठित की जाती है-

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-कोल, जनपद अलीगढ़।
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।


गठित समिति के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में 15 दिन के अन्दर स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने के साथ-साथ नियमानुसार समयान्तर्गत मा० एन०जी०टी० की ई-मेल आई०डी० judicial-ngt@gov.in पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।




(इन्द्र विक्रम सिंह)  
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
2. उप जिलाधिकारी, तहसील-कोल, जनपद अलीगढ़।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।



जिलाधिकारी, अलीगढ़।





शंलानक-2  
8

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक 499729 / सी-4 / विधि / एनजीटी नं-457 / 2023,

दिनांक 22/8/23

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
अलीगढ़।

डाक प्राप्ति

दिनांक 22/8/23 हस्ताक्षर  
उपरी नं० फाइल नं०  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-426/2023 सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन के संबंध में महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-426/2023 सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....3. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Aligarh and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 10.10.2023."

उक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु डॉ0 जे0पी0 सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ (मो0 नं0-7839891773 ई-मेल-roaligarh@uppcb.in) को नामित किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति हेतु प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में गठित समिति के साथ समन्वय स्थापित कर, निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराये।
2. विधि अधिकारी-प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com  
वेबसाइट-www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
E-mail: info@uppcb.com  
Web Site: www.uppcb.com

26/8/23  
28/8/23

शतलोक-3





altitude: 27.990778  
longitude: 78.128046  
Elevation: 197.58±8 m  
Accuracy: 15.3 m  
Time: 12-09-2023 13:08  
Note: हरद्वारागंज



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : 1188949 /सी-4/सा-11-846/2022-23

दिनांक : 11-02-23

स्टेशन अधीक्षक,  
हरदुआगंज रेलवे स्टेशन,  
जनपद-अलीगढ़।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या 537/2022 मुकेश कुमार चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 पारित आदेश दिनांक 05.09.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 10.11.2022 को हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ का निरीक्षण एवं परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण कार्य किया गया था। परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक पाई गयी थी। संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं निरीक्षण के दौरान किये गये अनुश्रवण आख्या की विस्तृत रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ई-मेल आईडी पर अपलोड किया जा चुका है। संयुक्त समिति द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 10.11.2022 को किये गये निरीक्षण की प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या-2256/ओ0ए0-253/2022 दिनांक 14.12.2022 के द्वारा स्टेशन अधीक्षक, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका आप द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया एवं न ही कोई प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया।

यह कि स्टेशन अधीक्षक, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ को पुनः क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या-2535 दिनांक 23.01.2023 के माध्यम से संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 10.11.2022 में दिये गये Recommendations, concluding remarks के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या इस क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी, परन्तु उक्त के संबंध में आप द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं कराया गया।

यह कि हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ के शिकायती स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 09.01.2023 को किया गया है। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार निरीक्षण के समय मै0 विजन नेक्स्ट रोड लाइन द्वारा मै0 इन्वायरो टैंक सर्विसेस, प्लॉट संख्या-132, एस0एस0 ऑफ जी0टी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा हरदुआगंज रेलवे स्टेशन एवं ग्राम-साथा का परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण लोडिंग एवं अनलोडिंग दोनों स्थितियों में कराया गया है। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार निरीक्षण के समय रेलवे स्टेशन हरदुआगंज के रेलवे साइडिंग एवं वाहनों के अवागमन हेतु मार्ग कच्चा होने के कारण डस्ट/धूल उड़ना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि मै0 विजन नेक्स्ट रोड लाइन द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त रास्ता एवं रेलवे साइडिंग को पक्का बनाने हेतु रेलवे द्वारा कार्य किया जाना है। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार निरीक्षण के समय हरदुआगंज रेलवे साइडिंग पर वाहनों के आवागमन एवं लोडिंग/अनलोडिंग से जनित फ्यूजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु रेलवे स्टेशन की पूरब एवं पश्चिम दिशा साइट से लगभग-20 फीट ऊँची 600 मीटर दोनों तरफ लम्बी अस्थाई ग्रीन नेट से बाउण्ड्री कवर्ड किया गया है। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार निरीक्षण के समय मालगाड़ी/रेक मौजूद न होने के कारण अनलोडिंग का कार्य होता हुआ नहीं पाया गया, किन्तु लोडिंग कार्य हो रहा था। निरीक्षण के समय लोडिंग के दौरान वर्कर द्वारा उपयुक्त पी0पी0ई0 का प्रयोग होता हुआ नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार निरीक्षण के समय रेलवे साइडिंग पर स्थित बोरवेल पर पम्प सैट स्थापित पायी गयी। उक्त बोरवेल से पानी दोहन की अनुमति जिला स्तरीय भूगर्भ जल प्राधिकरण, अलीगढ़ से प्राप्त किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार निरीक्षण के समय उपस्थित मै0 विजन नेक्स्ट रोड लाइन द्वारा अवगत कराया गया है

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppecb.com](mailto:info@uppecb.com)  
वेबसाइट-[www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

T.C.-12V., Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
E-mail: [info@uppecb.com](mailto:info@uppecb.com)  
Web Site: [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

2/2  
fama  
20/2/23

कि रेलवे साइडिंग हरदुआगंज पर स्थित उक्त बोरवेल रेलवे का है। जल दोहन की अनुमति रेलवे को प्राप्त करनी है एवं हमारे द्वारा पानी के छिड़काव हेतु मै0 जे0के0 सीमेण्ट उद्योग से पानी के टैंकर भरकर लाया जाता है।

यह कि दिनांक 09.01.2023 को किये गये निरीक्षण के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार निरीक्षण के समय विजन नेक्स्ट रोड लाइन द्वारा मै0 इन्चायर्स टैंक सर्विसेस, प्लॉट संख्या-132, एस0एस0 ऑफ जी0टी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा हरदुआगंज रेलवे स्टेशन एवं ग्राम-साथा का परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण लोडिंग एवं अनलोडिंग दोनों स्थितियों में कराया गया है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता बोर्ड मानकों के अनुरूप है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या-2905/ओ0ए0-537/22/2023, दिनांक 11.02.2023 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या 537/2022 मुकेश कुमार चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 पारित आदेश दिनांक 05.09.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में दिये सुझाव के अन्तर्गत स्टेशन अधीक्षक, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ के विरुद्ध दिनांक 14.12.2022 से दिनांक 09.01.2023 तक पर्यावरण अधिनियमों/नियमों के समुचित अनुपालन के अभाव में कुल 27 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 1,68,750/- (रू0 एक लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के साथ-साथ हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गई है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ की संस्तुति दिनांक 11.02.2023 के अनुक्रम में मै0 हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ के विरुद्ध दिनांक 14.12.2022 से दिनांक 09.01.2023 तक पर्यावरण अधिनियमों/नियमों के समुचित अनुपालन के अभाव में कुल 27 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 1,68,750/- (रू0 एक लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नवत् कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न पर्यावरण अधिनियमों/नियमों के समुचित अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप स्टेशन अधीक्षक, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ के विरुद्ध रू0 1,68,750/- (रू0 एक लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दिया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्यों सहित पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने के स्थिति में उपरोक्त वर्णित निर्देश की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि 15 दिन के अन्दर स्थलीय निरीक्षण कर, उपरोक्त पर विस्तृत आख्या प्रेषित करें।

*Atul Singh Yadav*  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4



क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

संलग्नक-136

पत्रांक 1223/OA No - 537/23

दिनांक 12-9-23

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय: बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच88949/सी-4/सा-II-844/2022 दिनांक 11.02.2023 के द्वारा रू0 1,68,750/- (रू0 एक लाख अडसठ हजार सात सौ पच्चास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओं नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच88949/सी-4/सा-II-844/2022 दिनांक 11.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शिकायती स्थल मै0 हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 12.09.2023 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर इकाई को जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0 पी0 सिंह)  
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच८८९४९/सी-४/सा-II-८४४/२०२२ दिनांक ११.०२.२०२३ के द्वारा रू० १,६८,७५०/- (रू० एक लाख अड़सठ हजार सात सौ पच्चास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओं नोटिस के सम्बन्ध में शिकायती स्थल हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-४२६/२०२३ सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम उ०प्र० राज्य में दिनांक ०१.०८.२०२३ को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

1. The grievance in this present application is regarding air pollution caused in the area of Village Satha, District Aligarh, UP during loading and unloading of clinker by Birla Uttam Cement Company, C.D.F., Cherat at Harduaganj Railway Station.
2. The applicant has submitted that clinker is being loaded and unloaded at the above-mentioned Railway Station by the Project Proponent for the last six years. The air and dust pollution caused during loading and unloading of clinker is posing serious health hazards to the residents of the locality and is also adversely affecting fertility of the adjoining agricultural land.
3. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Aligarh and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
4. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. List for further consideration on 10.10.2023.
6. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Member Secretary, State PCB and District Magistrate, Aligarh by e-mail for requisite compliance.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० संख्या-४५७/२०२३ एस०एस० सिंह बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक ०२.०८.२०२३ के मुख्य अंश निम्नवत् है-

1. The grievance in this present application is regarding air pollution caused in the area of Village Cherat, District Aligarh, UP during loading and unloading of clinker by Mangalam Cement Company, Cherat at Harduaganj Railway Station.
2. The applicant has submitted that clinker is being loaded and unloaded at the above-mentioned Railway Station by the Project Proponent for the last seven years. The air and dust pollution caused during loading and unloading of clinker is posing serious health hazards to the residents of the locality and is also adversely affecting fertility of the adjoining agricultural land.
3. Similar matter (O.A. No. 426/2023) complaining about air pollution by loading and unloading of clinker at Harduaganj Railway Station came up for hearing before this Tribunal and this Tribunal vide order dated 01.08.2023 constituted a joint Committee with direction to verify the factual position and submit factual and action taken report within one 2 month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
4. List for further consideration on 10.10.2023 along with O.A. No. 426/2023.

5/3

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.08.2023 एवं 02.08.2023 के अनुपालन में शिकायती स्थल हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ पर क्लिंकर की लॉडिंग-अनलोडिंग से जनित वायु प्रदूषण की जांच किये जाने हेतु जिलाधिकारी-अलीगढ़ के कार्यालय आदेश संख्या-1087/ओ.एं. नं.-426/2023 दिनांक 17.08.2023 (छायाप्रति संलग्न-1) के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की गयी है-

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-कोल, जनपद अलीगढ़।
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच99721/सी-4/विधि/एन.जी.टी. नं.-457/2023 दिनांक 22.08.2023 (छायाप्रति संलग्नक-2) के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु नामित किया गया है।

शिकायती स्थल हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 12.09.2023 को किया गया। निरीक्षण एवं वार्ता के समय निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे:-

1. श्री डी.के. गौतम, स्टेशन अधीक्षक, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़।
2. श्री हेमराज मीना, चीफ गुड सुपरवाइजर, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़।
3. श्री मनीष कुमार, प्रबंधक, मै0 मंगलम सीमेण्ट, सी0डी0एफ0 काम्प्लेक्स, छेरत, अनूपशहर रोड, अलीगढ़।
4. श्री संजय यादव, प्रबंधक, मै0 विजन नेक्स्ट रोड लॉजिस्टिक प्रा0लि0, 103, क्लासिक होम्स अपार्टमेन्ट, मैरिस रोड, अलीगढ़।
5. श्री राजा, सुपरवाइजर, मै0 पी एण्ड पी एक्विजम प्रा0लि0, सूतमिल चौराहा, जनपद-अलीगढ़।

निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण के समय रेलवे स्टेशन हरदुआगंज, अलीगढ़ के अक्षांश-27.990085 देशान्तर-78.127543 पाये गये।
2. निरीक्षण के समय रेलवे स्टेशन हरदुआगंज, अलीगढ़ के रेलवे साइडिंग की लाइन नं.-14 के किनारे क्लिंकर की लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य होता हुआ पाया गया, निरीक्षण के समय खींचे गये फोटोग्राफ संलग्न है। (संलग्नक-3)
3. निरीक्षण के समय पाया गया कि मै0 मंगलम सीमेण्ट, सी0डी0एफ0 काम्प्लेक्स, छेरत, अनूपशहर रोड, अलीगढ़ के द्वारा ट्रांसपोर्ट एजेन्सी मै0 पी एण्ड पी एक्विजम प्रा0लि0, सूतमिल चौराहा, जनपद-अलीगढ़ के माध्यम से रेलवे स्टेशन हरदुआगंज, अलीगढ़ के रेलवे साइडिंग की लाइन नं.-14 के किनारे क्लिंकर की लोडिंग/अनलोडिंग कर ट्रकों के द्वारा क्लिंकर को भरकर मै0 मंगलम सीमेण्ट, सी0डी0एफ0 काम्प्लेक्स, छेरत, अनूपशहर रोड, अलीगढ़ तक आवागमन किया जाता है।
4. निरीक्षण के समय रेलवे स्टेशन हरदुआगंज, रेलवे साइडिंग के लाइन नं.-14 के किनारे स्थित लोडिंग/अनलोडिंग के मार्ग पर वाटर स्प्रींकलिंग का कार्य होता हुआ नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर स्थापित 02 नग पोर्टेबल एन्टी स्मॉगगन संचालित नहीं पाये गये।
5. निरीक्षण के समय हरदुआगंज, रेलवे साइडिंग पर वाहनों के आवागमन एवं लोडिंग/अनलोडिंग से जनित डस्ट के नियंत्रण हेतु रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज की पूरब एवं पश्चिम दिशा में लगभग-20 फीट ऊँची तथा लगभग-600 मीटर दोनों तरफ लम्बाई में अस्थाई ग्रीन नेट स्थापित पायी गयी, जोकि निरीक्षण के समय क्षतिग्रस्त पायी गयी। (फोटोग्राफ संलग्न-4)।
6. बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच88949/सी-4/सा-II-844/2022 दिनांक 11.02.2023 (छायाप्रति संलग्नक-5) के द्वारा रू0 1,68,750/- (रू0 एक लाख अडसठ हजार सात सौ पच्चास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।



2/3

7. हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ पर क्लिंकर की लॉडिंग-अनलोडिंग से जनित वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं.-537/2022 मुकेश कुमार चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 28.08.2023 को आदेश पारित गया है, जोकि निम्नवत् है-

- 1- Pursuant to service of notice on respondent no. 8 in compliance of order dated 24.05.2023, Mr. Manu Garg, Advocate has appeared on behalf of respondent no. 8. Reply on behalf of respondent no. 8 has also been filed vide email dated 26.08.2023.
- 2- Action Taken Report has also been filed by DRM, North Central Railway, Prayagraj vide email dated 25.08.2023
- 3- In the above said Action Taken Report, it has been mentioned that applications for consent filed on behalf of DRM, North Central Zone, Prayagraj Division, U.P. were rejected twice by UPPCB.
- 4- Learned Counsel for UPPCB has submitted that UPPCB will look into the matter of grant of consent on requisite compliance/issuing appropriate directions for closure.
- 5- Mr. Himanshu Badoni, DRM, North Central Zone, Prayagraj Division, U.P. has appeared before this Tribunal through VC and we have interacted with him. Mr. Himanshu Badoni, DRM, North Central Zone, Prayagraj Division, U.P has mentioned that tender has been floated and the requisite remedial measures are being taken.
- 6- In reply filed by respondent no. 5 it has been mentioned that brand new green cloth has been provided on both sides of the railway sidings. We are of the considered view that till the time long term remedial measures are executed, the aspect of replacement of green cloth with tin sheets may also be considered for the purpose of preventing/controlling the dust pollution likely to be generated during loading unloading of clinker.
- 7- Learned Counsel for the respondents no. 2, 4 and 5 to 8 seek time for filing of Action Taken Report/Status Report regarding remedial measures.
- 8- Action Taken Report/Status Report by respondents no. 2, 4 and 5 to 8 be filed within **two months** at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.
- 9- List for further consideration on 02.11.2023


उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच88949/सी-4/सा-II-844/2022 दिनांक 11.02.2023 (छायाप्रति संलग्नक-5) के द्वारा रू0 1,68,750/- (रू0 एक लाख अडसठ हजार सात सौ पच्चास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)  
प्रयोगशाला सहायक

(अजय कुमार)  
सहायक पर्यावरण अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

Latitude: 27.990925  
Longitude: 78.129091  
Elevation: 197.11±11 m  
Accuracy: 14.2 m  
Time: 12-09-2023 13:18  
Note: हरद्वाराज





Latitude: 27.979768  
Longitude: 78.129862  
Altitude: 132.32±11 m  
Accuracy: 9.9 m  
Time: 12-09-2023 13:37  
Note: साथा गाँव



Latitude: 27.990897  
Longitude: 78.129138  
Elevation: 205.51±7 m  
Accuracy: 4.9 m  
Time: 12-09-2023 13:23  
Note: हरदुयगंज